न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः– नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 06/2020 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/5

विजयसिंह उर्फ वदनसिंह पिता श्री जोरसिंह निवासीः वरड़ा, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

— अपीलान्ट

बनाम

राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, उदयपुर

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बनाराजगी नायब तहसीलदार बारापाल, उदयपुर व आदेश न्यायालय ग्राम पंचायत वरड़ा तहसील बड़गांव, उदयपुर नामांतकरण संख्या 222 आदेश दिनांक 06.06.1997

उपस्थित : श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 16-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वरड़ा, पटवार क्षेत्र वरडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थूर, तहसील बड़गांव, उदयपुर में अपीलाण्ट एवं अन्य सहकाश्तकार की मौरूसी एवं पैतृक आराजीयत खसरा संख्या 1197 रकबा 0.0100 एवं खसरा संख्या 1197 रकबा 2.2000 में अपीलाण्ट को 1/8 वां हिस्सा खातेदारी हक से निहित है। खसरा संख्या 2293 रकबा 0.0150, खसरा संख्या 2294 रकबा 0.1800, खसरा संख्या 2296 रकबा 0.1400, खसरा संख्या 2311 रकबा 0.0600, खसरा संख्या 2354 रकबा 0.0600, खसरा संख्या 2355 रकबा 0.1100, खसरा संख्या 2432 रकबा 0.0800 कुल किता 7 रकबा 0.6450 में अपीलाण्ट का 1/6 वां हिस्सा खातेदारी हक से निहित है तथा खसरा संख्या 2433 रकबा 0.0400 व खसरा संख्या 2434 रकबा 0.0650

जिला कलक्टर
उदयपुर

किता 2 रकबा 0.1050 में अपीलाण्ट का 2/15 वां हिस्सा खातेदारी हक से निहित है। उक्त खसरा नंबर में अपीलाण्ट का नाम विरासत से वदनसिंह अंकित हो गया है जबकि अपीलाण्ट के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड सभी में उसका नाम विजयसिंह चला आ रहा है। इस कारण उक्त खोले गये नामांतरकरण में वदनसिंह के स्थान पर विजयसिंह नाम का अंकन राजस्व रेकार्ड में .दर्ज किये जाने हेतु अपील पेश की जा रही है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत फरमाया गया, उस समय अपीलाण्ट को घरेलू प्रचलित नाम वदनसिंह के आधार पर उक्त नामांतरकरण तस्दीक स्वीकृत फरमा दिया गया जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक एवं शिक्षा संबंधित दस्तावेज व सभी दस्तावेजों में विजयसिंह पिता श्री जोरसिंह अंकित है। ऐसी स्थिति में विरासत में नामांतरकरण में हुई त्रुटि में जमाबन्दी में वदनसिंह नाम अंकित हो गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तहकीकात किए उक्त नामांतरकरण स्वीकृत फरमा दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलाण्ट विजयसिंह एवं वदनसिंह का एक ही व्यक्ति है, वदनसिंह नाम के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अपीलाण्ट का नाम वदनसिंह के बजाए विजयसिंह अंकित किया जाता है तो किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति व नुकसान नहीं है। ग्राम पंचायत वरड़ा तहसील बड़गांव द्वारा भी जांच कर प्रमाणित किया कि अपीलाण्ट विजयसिंह ही वदनसिंह है। इस प्रकार की त्रुटि में सुधार किये जाने में किसी भी पक्षकार को किसी भी तरह की क्षति नहीं होना है, ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरकरण के अन्दर विजयसिंह पिता जोरसिंह अंकित कराये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकर फरमायी जाकर नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 06.06.97 में विजयसिंह पिता जोरसिंह अंकित फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराए जावे तथा उसे अनुसार जमाबंदी में दाखिला लगाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेंट की ओर अधिवक्ता श्री कल्पित जैन उपस्थित जिनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

जिला कलक्टर
उदयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा वरड़ा, पटवार क्षेत्र वरडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थूर, तहसील बड़गांव, उदयपुर में स्थित उक्त आराजीयात में अपीलाण्ट व अन्य सहखातेदार है। उक्त आराजीयात के विरासत के नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 06.06.97 में अपीलाण्ट को नाम विजयसिंह के बजाय वदनसिंह में अंकित रह गया। जबकि विजयसिंह व वदनसिंह नाम का एक ही व्यक्ति है। अपीलाण्ट के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड में भी उसका नाम विजयसिंह ही चला आ रहा है। ग्राम पंचायत वरड़ा द्वारा भी जांच कर प्रमाणित किया है कि अपीलाण्ट विजयसिंह ही वदनसिंह है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम वदनसिंह की बजाय विजयसिंह पिता जोरसिंह अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा अन्य सहखातेदार को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है ना ही प्रकरण में सहखातेदारान से विजयसिंह एवं वदनसिंह एक ही व्यक्ति है, लिखवाया गया है। यदि विजयसिंह एंव वदनसिंह एक ही व्यक्ति है तो अपीलाण्ट को सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट द्वारा नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 06.06.97 की अपील लम्बे समय बाद नाम परिवर्तन करने हेतु की गई है। केवल मात्र आधार, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर ही नाम संशोधित नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 06.06.97 में अपीलाण्ट का नाम विजयसिंह के बजाय घर के बोलते नाम वदनसिंह दर्ज हो जाने से नामांतरकरण में अपीलाण्ट के नाम विजयसिंह पिता जोरसिंह दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में अपीलाण्ट द्वारा अपील मेमों के साथ आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा, पेन कार्ड, शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत वरड़ा द्वारा जारी प्रमाण प्रस्तुत किये गये है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा विजयसिंह एवं वदनसिंह एक ही व्यक्ति होने का निवेदन किया गया है एवं इस संबंध में आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा, पेन कार्ड, शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत वरड़ा द्वारा जारी प्रमाण प्रस्तुत किये गये है। परन्तु उक्त दस्तावेज के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 06.06.97 विरासत से जोरसिंह के बजाय सजनबाई, किशोरसिंह, तुलसीबाई, बाबुसिंह, वदनसिंह पिता जोरसिंह, सोहनबाई बेवा जोरसिंह राजपूत के नाम पर दिनांक 07.06.97 को अंकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा लम्बे समय बाद नाम में शुद्धि के लिए अपील प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस आधार/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। मात्र आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि विजयसिंह एवं वदनसिंह एक ही व्यक्ति है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं के वदनसिंह होने के संबंध में जमाबन्दी के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है ना ही अन्य सहखातेदरों को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार बड़गांव को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत से विजयसिंह एवं वदन सिंह एक ही व्यक्ति होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करें। साथ ही सहखातेदारो को सुनते हुए अनापत्ति प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बड़गांव को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,
उदयपुर